# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)

लक्ष्मी पत्नि रामदेव जाति माली निवासी शक्करपुरा

बनाम

कैलाश चन्द्र पिता भुवाना जाति माली निवासी शक्करपुरा आदि

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 640/2023

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
| --- | --- | --- |
| 2023 | प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि **ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 6281, 6282 कुल किता 02 रकबा 1.0360 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 6285 कुल किता 01 रकबा 1.5216 हैंक्टेयर** स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडोसी हैं । अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हैं , अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।<br>मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलगन नकल जमाबन्दी सम्वत **2075 से 2078** तक के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार हैं प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया हैं । अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता हैं ।<br><br>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि **ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 6281, 6282 कुल किता 02 रकबा 1.0360 हैंक्टेयर, आराजी नम्बर 6285 कुल किता 01 रकबा 1.5216 हैंक्टेयर** की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक **पण्डेर** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिशनर फीस 1500 रू. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रू. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।<br><br>आदेश आज दिनांक 21.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**उपखण्ड अधिकारी,**<br>**जहाजपुर(भीलवाडा)** | |

राजस्थान–सरकार

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

/शीडर/2023/640/2023 दिनांक :– 21.06.2023

तहसीलदार जहाजपुर

प्र. स. 640/23 अनवान लक्ष्मी पत्नि रामदेव जाति माजी निवासी शक्करपुरा बनाम कैलाश चन्द्र पिता भुवाना माली, देवकिशन पिता हीरा माली, शंकरलाल पिता बख्तावर माली, रामधन पिता हीरा लाल माली, विजय कुमार पिता गोपाल लाल कुम्हार निवासीयान शक्करपुरा तहसील जहाजपुर जिला–भीलवाडा राजस्थान

पथरगढी की पालना करने बाबत।

———

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बदनपुरा पटवार हल्का जसवन्तपुरा जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 6281, 6282 कुल किता 02 रकबा 1.0360 आराजी नम्बर 6285 कुल किता 01 रकबा 1.5216 हैंक्टेयर भुमि की उभय पक्षों की में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक पण्डेर को कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। फीस 1500 रू. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये में जमा करावे । पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नही किया ना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)